यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी (माध्यमिक) पिथौरागढ़, उत्तराखंड, द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी (माध्यमिक) पिथौरागढ़, उत्तराखंड के माह नवम्बर 2015 से सितम्बर 2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन, जो श्री सुनील दत्त, श्री मुकेश कुमार एवं श्री जतिन राणा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 24-10-2018 से 31-10-2018 तक श्री एस॰ के॰ वर्मा, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुधीर कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री शैलेन्द्र कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 07.11॰2015 से 23.11.2015 तक श्री दानिश इकबाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2010 से 10/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 11/2015 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र: सम्पूर्ण पिथौरागढ़ जिला है इकाई का क्रियाकलाप राज्य मे शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रशासननिक एवं वित्तीय नियंत्रण रखना है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख मे)

वर्ष	योजना का नाम	आवंटन `	व्यय `	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	2202 सामान्य शिक्षा 4504,4506	1704.44	1686.17	-	18.27
2016-17	2202 सामान्य शिक्षा 4504,4506	1838.38	1787.80	-	50.58
2017-18	2202 सामान्य शिक्षा 4504,4506	4202.85	4177.79	-	25.06
2018-19	2202 सामान्य शिक्षा 4504,4506	1180.58	976.74		
योग		**8926.25**	**8628.50**	-	**93.91**

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्राप्त `		व्यय `		अधिक्य (+)		बचत (-)	
		केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य	केंद्र	राज्य
2015-16		-Nil-							
2016-17									
2017-18									
2018-18									
योग:									

(स) कार्यक्रम/योजना/परियोजना के क्रियान्वयन मे संलग्न समितियों एवं एन०जी०ओ का विवरण:

क्रम संख्या	वर्ष	Name of Society/ NGO involved	Government expenditure through Society/NGO
1	**2**	**3**	**4**
1	2015-16	-Nil-	
2	2016-17		
3	2017-18		
4	2018-19		

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "सी" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा **पृष्ठ____** पर संलग्न है।

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण पिथौरागढ़ जिला है, नमूना लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी (माध्यमिक) पिथौरागढ़, उत्तराखंड की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **मार्च 2016, मार्च 2017** एवं **जनवरी 2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। कार्यालय स्तर पर योजनाओ का संचालन किया जाता है

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-1: स्वीकृति के 13 वर्षो के उपरांत लागत रु 1588.11 लाख से विकास खंड, गंगोलीहाट मे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण के प्रस्तावित कार्य का अपूर्ण रहना।

राज्य योजना तथा विशेष योजना अंतर्गत विकास खंड, गंगोलीहाट मे राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी (क्रमशः वर्ष 2003-04 एवं 2012-13)। उक्त कार्य के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति के सापेक्ष जून- 2015 तक रु 788.81 लाख[1] निर्गत किए गए थे। सचिव, उत्तराखंड शासन के पत्र दिनांक: जून 2015 द्वारा[2] उक्त निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के संबंध मे लिखा गया था कि विद्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु पुनरीक्षित आगणन की कुल औचित्यपूर्ण लागत रु 1588.11 लाख के सापेक्ष पूर्व मे स्वीकृत धनराशि रु 788.81 लाख को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 मे अद्यतन रु 100.00 लाख की स्वीकृति निम्न प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है।

(i) उक्त कार्य के संबंध मे वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 475/ XXVII (7) / 2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदाई संस्था से एम. ओ. यू. अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाए तथा कार्य की प्रगति की निरंतर समीक्षा की जाए।

(ii) कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भ वेत्ता के साथ अवश्य करा लें।

(iii) यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त स्वीकृत धनराशि को ऐसी किसी मद पर व्यय न किया जाए जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अंतर्गत अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो।

कार्यदायी संस्था "उ. प्र. राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, पिथौरागढ़ इकाई, चंपावत" द्वारा प्रस्तुत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण के अनुसार निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति 51 प्रतिशत दर्शाई गयी थी (जून 2015), प्रगति विवरण के अनुसार कार्य को अगस्त 2005 मे प्रारम्भ कर दिसम्बर 2014 मे पूर्ण किया जाना था। अगस्त 2015 की प्रगति आख्या के अनुसार निर्माण पर रु 807.40 लाख व्यय किया जा चुका था। निर्माणाधीन भवन का उप जिलाधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग के साथ निरीक्षण किया गया था (मई 2017) जिसके अनुसार भवन मे निम्न कमियाँ पायी गयी थीं:

---

[1] वित्तीय वर्ष 2003-04: रु 40.00 लाख, 2005-06: रु 100.00 लाख , 2007-08: रु 150.00 लाख, 2008-09: रु 98.81 लाख तथा वर्ष 2012-13: 400.00 लाख कुल रु 788.81 लाख

[2] संख्या 241/ XXIV- 3/15/02 (137) 2005 दिनांक 19 जून, 2015

(अ) किचन ब्लॉक मे एग्जास्ट फ़ैन का प्रावधान न होने से किचन मे कार्य करने मे परेशानी आ रही थी।

(आ) भवनो के बाहर बनी नालियों के ढाल ठीक नहीं थे।

(इ) भवन के बाहर टॉइलेट के मेन हाल सही कार्य नहीं कर रहे थे।

(ई) लिंटल बैंड (lintel band) पर प्लास्टर की आवश्यकता थी।

(उ) भवन मे एक्स्पंसन जोइण्ट (expansion joint) का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया था जिससे भवनो के जोड़ पर पानी आने की शिकायत थी।

(ऊ) भवन तक पहुँच मार्ग का निर्माण नहीं किया गया था।

निरीक्षण प्रतिवेदन मे उल्लिखित किया गया था कि पूरे प्रोजेक्ट की लागत रु 15,88.11 लाख थी (मई 2017) जिसे समय- समय पर उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर शासन द्वारा अवमुक्त किया जाना था किन्तु उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण शासन स्तर से राशि अवमुक्त नहीं की गयी। उपभोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना कार्यदाई संस्था की लापरवाही थी जिसके कारण राशि निर्गत न की जा सकी तथा भवन के जिस भाग का निर्माण किया भी गया था वे भी अधूरे थे यदि उनका निर्माण कार्य शीघ्र न किया गया तो उन भवनो को क्षति पहुँचना निश्चित है। कार्य अपूर्ण था (मई 2017)। कार्यदायी संस्था द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिखा गया था (जून 2017) कि कार्य पर स्वीकृत राशि रु 1588.11 लाख के सापेक्ष रु 887.08 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी, शेष धनराशि रु 701.03 लाख अवमुक्त न किए जाने के कारण कार्य की प्रगति बाधित थी, इस स्थिति मे कार्य के निर्माण की समयसीमा एवं लागत मे वृद्धि होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता एवं आगणन मे प्रावधानित समस्त कार्यो को पूर्ण करना संभव नहीं होगा।

भवन मे अकादमिक भवन, डोरमेट्री, किचन ब्लॉक, श्रेणी 04 के 02 आवास भूतल एवं प्रथम तल के कार्य पूर्ण किए जा चुके थे जिसे उपयोग मे लाया जा रहा था। द्वितीय श्रेणी के 12 आवास, बहूद्देशीय शिविर, तृतीय श्रेणी के 06 आवास, लैब ब्लॉक, डोरमेट्री का निर्माण अनारम्भ था (जुलाई 2017) । उक्त निर्माण के विलंब का कारण धनराशि का उपलब्ध न होना बताया गया था।

इस प्रकार स्पष्ट था कि वित्तीय वर्ष 2005 से प्रारम्भ कार्य को स्वीकृति के 13 वर्षो के उपरांत भी पूर्ण न किए जाने से उसके निर्माण की लागत मे पुनः वृद्धि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आगणन के दरो की अनुसूची (शैड्यूल ऑफ रेट- एस ओ आर) मे परिवर्तन निश्चित है।

लेखा परीक्षा (अक्टूबर 2018) मे इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यो को स्वीकार करते हुए बताया गया कि धनाभाव के कारण कार्य लंबित है , अन्य बिन्दुओं पर इकाई द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

अतः इकाई के अनुश्रवण की कमी के कारण कार्य के लागत को पुनरीक्षित किया जा चुका है, पुनरीक्षित लागत के सापेक्ष शासन से पूर्ण धन आवंटन नहीं प्राप्त किया जा सका है जिससे रु 1588.11 लाख का प्रस्तावित निर्माण कार्य अपूर्ण था कार्य पर रु 887.08 लाख व्यय किया जा चुका है।

तथ्य प्रकाश मे लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- धनराशि ` 92.88 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र अप्रस्तुत रहना

वित्तीय नियमानुसार स्वीकृत/निर्गत एवं व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) उसी वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर निदेशालय, शासन एवं महालेखाकर को उपलब्ध करा दिया जाय जिस वित्तीय वर्ष में धनराशि स्वीकृत एवं अवमुक्त किया गया हो।

कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/वित्त शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), पिथौरागढ़ के बजट/व्यय विवरण संबंधी अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा (DDO- 4504) मुख्य लेखा शीर्षक 2202 (सामान्य शिक्षा) के अंतर्गत 2016-17 एवं 2017-18 मे विभिन्न योजनाओं/मदों के अंतर्गत धनराशि खंड शिक्षा अधिकारी/माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों-प्रधानाचार्यों को छात्र/छात्राओं को वितरित करने हेतु निर्गत किया गया था जिसका विवरण निमन्वत है:

वर्ष	लेखाशीर्ष	योजना/मद	धनराशि (` मे)	देय माह/वर्ष
2016-17	2202-02-107-18-00	राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	55,000/-	04/2017
	2202-02-800-18-00	साइकल योजना	17,27,100/-	03/2017
	2202-02-800-21-00	कमला नेहरू पुरस्कार	66,000/-	03/2017
	2202-02-800-03-00	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तिका (SC)	50,57,600/-	03/2017
	2202-02-800-03-00	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तिका (ST)	7,23,900/-	03/2017
2017-18	2202-02-107-18-00	राज्य योग्यता छात्रवृत्ति	60,000/-	03/2018
	2202-02-107-15-00	खेल छात्रवृत्ति	48,000/-	03/2018
	2202-02-001-13-00	कमला नेहरू पुरस्कार	22,000/-	02/2018
	2202-02-800-03-00	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तिका (SC)	3,95,500/-	03/2018
	2202-02-800-03-00	नि:शुल्क पाठ्यपुस्तिका (ST)	11,33,200/-	03/2018
		कुल योग	**92,88,200/-**	

लेखापरीक्षा मे पाया गया कि उपरोक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र लेखापरिक्षा की तिथि तक कार्यालय द्वारा खंड शिक्षा अधिकारियों/माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों- प्रधानाचार्यों से वितरित धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है जबकि धनराशि अवमुक्त एवं व्यय किए जाने के उपरांत 1 से 2 वित्तीय वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। लेखापरीक्षा द्वारा

उपरोक्त के बारे मे इंगित किए जाने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारणों से अवगत कराने हेतु पूछे जाने पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि खंड शिक्षा अधिकारियों एवं विद्यालयों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेखापरीक्षा कार्यालय को सूचित किया जाएगा एवं आगामी लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उक्त धनराशि की उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अंत तक प्राप्त कर इसे निदेशालय/शासन को प्रेषित किया जाना चाहिए था।

अतः धनराशि ` 92.88 लाख का उपयोगिता प्रमाणपत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए जाने का प्रकरण उच्चधिकारी के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर**	**स्टैन**
36/2010-11	शून्य	01	शून्य
129/2015-16	शून्य	01	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
129/15-16	भाग-दो(ब) प्रस्तर-1		निस्तारित हेतु संस्तुति	निस्तारित

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----------शून्य----------

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी (माध्यमिक) पिथौरागढ़, उत्तराखंड, तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है, तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

-शून्य-

2. **सतत् अनियमितताएः**

-शून्य-

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	श्री अशोक कुमार जकुरिया	मुख्य शिक्षा अधिकारी	16.08.2014 से 23.05.2017
2.	श्री गणेश प्रसाद	मुख्य शिक्षा अधिकारी	24.05.2017 से 08.11.2017
3.	श्री अशोक कुमार गुसांई	मुख्य शिक्षा अधिकारी	08.11.2017 से 22.12.2017
4.	श्री विनोद प्रसाद सिमल्टी	मुख्य शिक्षा अधिकारी	23.12.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/ वित्त अधिकारी (माध्यमिक) पिथौरागढ़, उत्तराखंड, को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र), कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, "महालेखाकार भवन", कौलागढ़, देहरादून- 248195 को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.